न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 87 / 2019 **दायर तारीख :– 19-09-2019**

1. भूपेन्द्र सैनी पुत्र स्व0 श्री अर्जुनलाल जाति माली निवासी पीपली स्टेण्ड गांधीनगर तन आंतेला तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत

धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांकः– 10.11.2020

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला के खाता संख्या 82 के खसरा नंबर 3924/2907 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी तथा खाता संख्या 71 के खसरा नंबर 2905 रकबा 0.7525, 2906 रकबा 0.70 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4525 हैक्टेयर में हिस्सा 9/100 की खातेदारी प्रार्थी भोमाराम पुत्र अर्जुनलाल जाति माली के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। यह है कि प्रार्थी के पिताजी की मृत्यु पर ग्रम पंचायत द्वारा जारी कुर्सीनामा में प्रार्थी का नाम भोमाराम उर्फ भूपेन्द्र अंकित किया गया है उक्त कुर्सीनामा के आधार पर ही भरे गये फौतगी नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम सहवन से भोमाराम अंकित कर दिया गया, जिसके आधार पर भूमि कि खातेदारी में प्रार्थी का नाम भोमाराम अन्य सह खातेदारों के साथ अंकित हुआ है। तथा आपसी सहमति से आराजी के सह खातेदारान व प्रार्थी के आराजी का बंटवारा हुआ है। यह है कि प्रार्थी कि पिता अर्जुनलाल के प्रार्थी के अलावा भोमाराम नाम का अन्य कोई पुत्र नहीं रहा है। यह है कि

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र सैनी पुत्र अर्जुनलाल के बजाय भोमाराम पुत्र अर्जूनलाल अंकित कर दिया जो कि गलत है, जो कि काबिले दुरूस्ती है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से भोमाराम पुत्र अर्जूनलाल दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वास्तविक नाम भूपेन्द्र सैनी पुत्र अर्जुनलाल है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला के खसरा नंबर 3924/2907 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी तथा खसरा नंबर 2905 रकबा 0.7525, 2906 रकबा 0.70 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4525 हैक्टेयर में हिस्सा 9/100 की खातेदारी में अंकित प्रार्थी का नाम भोमाराम के बजाय भूपेन्द्र सैनी दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम गांधीनगर खाता संख्या 82 संवत् 2075–2078, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम गांधीनगर खाता संख्या 71 संवत् 2075–2078, फोटो प्रति टी.सी. भूपेन्द्र सैनी, फोटो प्रति ग्राम पंचायत आंतेला का प्रमाण–पत्र, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007915101417, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड YWCAKGK, फोटो प्रति पैन कार्ड AXPPS8884E, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 6782-0139-6583, फोटो प्रति नामान्तकरण, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मय कुर्सीनामा, फोटो प्रति कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारानामा मय पटवारी की रिपोर्ट मय स्टाम्प लिखावट एवं नक्शा ट्रेस आदि पेश किये गये।
4. वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला के खाता संख्या 82 के खसरा नंबर 3924/2907 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी तथा खाता संख्या 71 के

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

खसरा नंबर 2905 रकबा 0.7525, 2906 रकबा 0.70 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4525 हैक्टेयर में हिस्सा 9/100 की खातेदारी प्रार्थी भोमाराम पुत्र अर्जुनलाल जाति माली के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। यह है कि प्रार्थी के पिता की फौत के पश्चात विरासत के नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र पुत्र अर्जुनलाल के बजाय भोमाराम पुत्र अर्जुनलाल अंकित कर दिया जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 6782-0139-6583, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007915101417, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड YWCAKGK, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र आदि में वास्तविक नाम भूपेन्द्र सैनी पुत्र अर्जुनलाल है। यह भी कि गांव, कुटुम्ब, परिवार में भी प्रार्थी को भोमाराम पुत्र अर्जूनलाल के नाम जाना पहचाना जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी कुर्सीनामा में भी प्रार्थी का नाम भोमाराम उर्फ भूपेन्द्र सैनी अंकित किया हुआ है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं वाकै ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला के खसरा नंबर 3924/2907 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी तथा खसरा नंबर 2905 रकबा 0.7525, 2906 रकबा 0.70 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4525 हैक्टेयर में हिस्सा 9/100 की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम भोमाराम के बजाय भूपेन्द्र सैनी दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.11.2020 को सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर